भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 615

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदी द्वारा अपरदन

615. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नदी द्वारा अपरदन के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नदी अपरदन से भूमि और गांवो को बचाने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदियों द्वारा अपरदन को रोकने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): नदी कटाव, गति और उसके तलछट का जमाव नदी का एक प्राकृतिक नियामक कार्य हैं। नदियाँ अपने साथ लाई गई गाद और जमा की गई गाद के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। भारी बाढ़ के कारण होने वाला नदी कटाव चिंता का विषय है, क्योंकि इससे कई समस्याएं जैसे नदी के मार्ग में परिवर्तन, भूमि की हानि आदि उत्पन्न होती हैं।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है।

ब्रह्मपुत्र, गंगा, शारदा, राप्ती, सुबनसिरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी महानंदा आदि प्रमुख नदियों का रूपात्मक अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन नदियों की प्रकृति को व्यापक रूप से जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आधार वर्ष के संबंध में उनके विभिन्न स्थलों में दशकीय तटरेखा संचालन, कटाव और निक्षेपण का आकलन, पहुंच-वार रूपात्मक सूचकांकों की व्युत्पत्ति और महत्वपूर्ण रीचेज की पहचान प्रदान करते हैं। इन अध्ययनों को संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है ताकि निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाई जा सके।

(ग) और (घ): विचाराधीन नदियों से गाद निकालने की कोई योजना नहीं है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है, जिसमें नदी, जलाशयों, झीलों और अन्य जल निकायों में स्थायी तलछट प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया है।

*****